



विपक्षी श्री लखल उपस्थित। राजकीय पेशकार
 वंशीलदास ऋषभदेव का नोटिस वापस लाने
 प्राप्त नहीं हुआ है। अतः पत्रावली वस्तु दिनांक
 विपक्षी सं. 1 के जवाब तथा विपक्षी सं.
 2 की तलबी रिपोर्ट हेतु दिनांक
 20/2/17 को पेश करें।


20/2/17. पत्रावली पेश हुई। वादी-प्रतिवादी उपस्थित।
 पीठासीन अधिकारी बैठक/कानून व्यवस्था,
 भ्रमण ... उदयपुर में होने से पत्रावली
 दिनांक ... 6/3/17 को पेश होवे।
 आज्ञा से

 रीडर
 उपस्यण्ड अधिकारी, ऋषभदेव

6/3/17. पत्रावली पेश हुई। वादी वकील श्री लक्ष्मीनारायण
 नायक एवं वादीगण श्री वंशीलाल व लकरा ने उपस्थित।
 लकरा आदेश 23 नियम 1(3) संपठित चारा 151 CPC वंशीलाल
 के तलब विज्ञापन पत्र पेश किया जिसे उपस्थित
 पत्रकारों को पढ़कर सुनाया गया। उपस्थित पत्रकार
 श्री वंशीलाल व लकरा तथा वकील श्री लक्ष्मीनारायण ने
 वायक ने प्रार्थना पत्र को शर्ती होना स्वीकार किया
 तथा प्रार्थना पत्र अंतर्गत चारा 136 LR Act
 को विज्ञापन करने की इतमति - चली।


 K.N. Gaur

उक्त: पार्थिव-पत्र अनुसूच्य वार्दीगण के तथा वाद
पुस्तक करने के अधिकारी को सुरक्षित रखते
हए पार्थिव पत्र अंतर्गत - चारा 136 LRA Act.
को विद्वा करने की अनुमति दी जाती है। पुस्तक
पार्थिव-पत्र शामिल निसल किया जावे।

पत्रावली फॉर्मल शुमार लेकर नम्बर से
कम की जाकर दाखिल दातर हो।
आदेश सुनाया गया।


सहायक कलेक्टर एवं
उपरवठ अधिकारी बटपक्ष
जिला उदमपुर (राजं)